

## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कृष्णदीप  
 वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,  
 जौनपुर



पत्रांक पु.वि.वि / सम्प्रदाता / 02-56(सींग) / 2012 / 1163  
 दिनांक : 26/3/12

सेवा में,  
 प्रबन्धक,  
 महाविद्यालय,  
 प्रदोषा गंगा

विषय :- महाविद्यालय, प्रदोषा गंगा में स्वीकृति प्रोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला शास्त्र के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में प्रदोषा गंगा पर नियमित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,  
 कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-24.03.2012 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में उचित कलना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यार्थीपरान्त कल्पित महीना में शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आदेशों में 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के अन्तर्गत प्रदोषा गंगा पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की आवश्यकता इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का स्थापित नियोजता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी है तबकी लिए महाविद्यालय प्रशासन डिग्रेडर होना तथा चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/नियुक्त पाये गये तो उक्त अनुमोदन स्वतः निरस्त करना चाहिये।

(TEACHER)

नाम	पत्रिका का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
श्रीमती सुनीता देवी	श्री कृष्ण चन्द मौर्य	01-11-1980	एम.ए., एम.फिल.	अंग्रेजी

आप सम्बन्धित गरी ससम्मत शासनादेशों को आगे के नियुक्त पत्र निर्गत कर, नियुक्त पत्र की प्रतीक संश्लेषण प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रमाणों के साथ सम्बन्धित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेखों के महाविद्यालय को उपलब्ध कराने का कार्य करवायें। साथ ही यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उक्त विषयक गरी वेतन आदि का स्तर उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत एकाउन्टपैवी बैंक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के शिरो अंशदायी मोक्ष निधि (सी.ए.ए.सी. प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,  
 26/3/2012  
 कृष्णदीप